बिहार विधान सभा सचिवालय

षोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र में व्यवस्थापन हेतु दिनांक 03 जुलाई, 2019 के लिए संलग्न कटौती प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं :-

माँग संख्या - 01

आय-व्ययक शीर्षक - कृषि विभाग

1. **प्रभारी मंत्री**, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि ''कृषि विभाग'' के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 29,58,77,32,000/- (उनतीस अरब अनठावन करोड़ सतहत्तर लाख बत्तीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

2-8. **श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानन्द सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या - 02

आय-व्ययक शीर्षक - पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

9. **प्रभारी मंत्री**, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि ''पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग'' के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 9,53,25,30,000/- (नौ अरब तिरपन करोड़ पच्चीस लाख तीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

10-12. **श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री समीर कुमार महासेठ** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या - 45

आय-व्ययक शीर्षक - गन्ना उद्योग विभाग

13. **प्रभारी मंत्री**, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि ''गन्ना उद्योग विभाग'' के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 2,17,51,83,000/- (दो अरब सत्रह करोड़ इक्यावन लाख तिरासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

14-16. **श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री समीर कुमार महासेठ** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की गन्ना उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायगा ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2019- 2682 /वि०स०, पटना, दिनांक- 27 जून, 2019 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के संबंधित माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के संबंधित विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / वित्त आयुक्त / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/6/19

(भूदेव राय)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2019- 2683 /वि०स०, पटना, दिनांक- 27 जून, ~~2019 ई० ।~~

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

27/6/19

(भूदेव राय)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2019- 2683 /वि०स०, पटना, दिनांक- 27 जून, 2019 ई० ।

प्रति:- अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा को विधान सभा के बेवसाइट पर डलवाने हेतु प्रेषित ।

27/6/19

(भूदेव राय)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2019- 2683 /वि०स०, पटना, दिनांक- 27 जून, 2019 ई० ।

प्रति:- विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा (पाँच प्रतियों में), बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/6/19

(भूदेव राय)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

27.6.